सेवा में

मानननीय अध्यक्ष महोदय
हरियाणा विधानसभा
चंडीगढ़

विषय : **हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया व् कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73 के तहत समान काम – समान वेतन नीति में असमानता के बारे में ध्यानाकर्षण प्रास्ताव|**

महोदय जी,

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करती हूं कि मुख्यमंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि हरियाणा सरकार के अधिकतर विभाग सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतें पत्र क्रमांक 16/36/2016-3GS-II दिनांक 03-11-2017 जोकि समान काम – समान वेतन के सम्बन्ध में है को क्यों नहीं लागू कर रहे हैं | आयुष निदेशालय के द्वारा अप्रैल 2020 में 206 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति उचित मापदण्डों के अनुसार की गई थी | परन्तु उन्हें इस नीति का लाभ नहीं दिया जा रहा है जबकि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेटीशन क्रमांक CM18237 दिनांक 22-08-2017 द्वारा सरकार को यह हिदायत जारी की थी कि आयुष चिकित्सकों की मांग को उपरोक्त नीति के अनुसार दो महीने में निबटाये |

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकतर सरकारी विभाग निरंकुश होकर उच्च निर्देश एवं न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना लगातार करते जा रहे हैं| मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि सरकार नए सिरे से **"समान काम- समान वेतन"** नीति को सभी विभागों में लागू करवाएं क्योंकि यह केवल एक आयुष निदेशालय का नहीं बल्कि सभी विभागों का मामला है ताकि इन सभी सम्बंधित कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के शोषण को रोका जा सके|

(किरण चौधरी)
विधायक - तोशाम